

पत्रांक 15 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18

रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश

एल0डी0ए0 कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,

विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।

दिनांक::लखनऊ::26 अगस्त, 2017

आहरण वितरण अधिकारी

कुशीनगर, लखीमपुर खीरी।


रेशम विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/2017/156/74-2-2016-11(ब)/2017 दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू0 2421.89 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू0 960.91 लाख (रूपये नौ करोड़ साठ लाख इक्यानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि के पश्चात अवशेष धनराशि रू0 88.73 लाख में से रू0 20.00 (रूपये बीस लाख मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

1. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्ही मदों में धनराशि का व्यय किया जाय अर्थात् किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
6. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (माह मार्च 2018 के अन्तिम सप्ताह) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

7. वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता मदों में आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग प्रथमतः कार्मिकों का वेतन भुगतान हेतु ही किया जाए।
8. आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
9. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय -रेशम निदेशालय के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-05 पर कर ली गई है।


संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


 (अनिल कुमार यादव)
 निदेशक(रेशम)

पत्रांक 15 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 तद्दिनांकित
 प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थानहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
6. वरिष्ठ आडिटर मुख्यालय लखनऊ।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


 (अमितोष श्रीवास्तव)
 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

पत्रांक 15 /सं०/लेखा/आयो० बजट/2017-18 दिनांक: 26 अगस्त, 2017 का अनुज्ञानक
 अनुदान सं०- 10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निर्देशन तथा प्रशासन-आयोजनेतर

03-अधिष्ठान व्यय, रेशम निदेशालय के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

(धनराशि ₹० में)

क्र०सं०	आहरण एवं विवरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	आवंटित धनराशि				योग	पूर्व में योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का योग	प्रणामी योग
				वेतन 01	महंगाई भत्ता 03	अन्य भत्ते 06	योग 8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	सहायक निदेशक (रेशम)	कुरुशानगर	कुरुशानगर	700000	86000	214000	1000000	3541646	4541646	
2	सहायक निदेशक (रेशम)	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी	700000	300000	0	1000000	2927646	3927646	
	योग:-			1400000	386000	214000	2000000	6469292	8469292	

(रूपये बीस लाख मात्र)

तेरह अंकों का कोड नम्बर

2	8	5	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(अभिषेक श्रीवास्तव)

वरिष्ठ विल एवं लेखाधिकारी